1/1

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर – 19,
नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)–492 002
ई–मेल: seiaacg@gmail.com

क्र.1605 /एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./माईन/ नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09/10/2023

प्रति,

मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
ग्राम–छोटेडोंगर,
तहसील व जिला–नारायणपुर (छ.ग.).

विषय :– ग्राम–छोटेडोंगर, तहसील व जिला–नारायणपुर स्थित भूमि पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 एवं 265, कुल क्षेत्रफल–192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर के साथ 55.26 हेक्टेयर (कुल–91 हेक्टेयर) में क्षमता–2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं बेनिफिसियेशन प्लांट–1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के साथ यह भी कि This recommendation is being made subject to final outcome of clarification letter sought from MoEF&CC wide letter no. 2669, dated 23/03/2023 पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :–
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति ज्ञापन क्रमांक J-11015/62/2019-IA.II(M) दिनांक 22/03/2021
2. आपका ऑनलाईन ओवदन प्रपोजल क्रमांक– एसआईए /सीजी /एमआईएन /281098/2022, दिनांक 01/07/2022 एवं अनुवर्ती पत्राचार दिनांक 13/02/2023.

---:: 00 ::---

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया पत्र दिनांक 01/07/2022 एवं अनुवर्ती पत्राचार दिनांक 13/02/2023 का अवलोकन हो।

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /281098/2022, दिनांक 01/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान एवं बेनिफिसियेशन प्लांट है। खदान ग्राम–छोटेडोंगर, तहसील व जिला–नारायणपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 एवं 265, कुल क्षेत्रफल–192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर के साथ 55.26 हेक्टेयर (कुल–91

हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं बेनिफिसियेशन प्लांट–1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एस.के. मोईत्रा एवं श्री एस.के. स्वान, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान आवश्यक समस्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को आवश्यक समस्त जानकारी / दस्तावेज सहित तकनीकी प्रस्तुतीकरण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आवश्यक समस्त जानकारी / दस्तावेज सहित तकनीकी प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुशांत कुमार मोइत्रा, असिस्टेंट डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में श्री हेम कुमार गुप्ता उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 02/06/2019 के माध्यम से कुल क्षेत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु टी.ओ.आर. जारी की गई थी।

   ii. पूर्व में वन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 18/01/2007 को जारी स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस (क्षेत्रफल–35.74 हेक्टेयर) के आधार पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/62/2019-IA.II(M) दिनांक 22/03/2021 द्वारा कुल लीज क्षेत्र 192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर, आयरन ओर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–0.05 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष विथ बेनिफिकेशन प्लांट 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 316/खनिज/लौ.अं./2020–21 नारायणपुर, दिनांक 05/11/2020 द्वारा

जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों 2017 से सितम्बर, 2021 तक में किये गये उत्खनन की मात्रा निरंक है।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 08/07/2022 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार कुछ शर्तों का आंशिक पालन एवं अपूर्ण पालन किया जाना पाया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को आंशिक पालन एवं अपूर्ण पालन को पूर्ण कर प्रतिवेदन दिनांक 05/08/2022 को प्रेषित किया गया है। साथ ही प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई हैः–

i. गारलेण्ड ड्रेन, चेक डेम्स एवं कैच ड्रेन्स का निर्माण किया जाना बताया गया है। अतः गारलेण्ड ड्रेन चेक डेम्स एवं कैच ड्रेन्स के संबंध में फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

ii. वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. भू–जल स्त्रोतों का संरक्षण किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

iv. पिजोमीटर का निर्माण नहीं किया गया है।

v. वन्य प्राणी संरक्षण योजना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) से अनुमोदन की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

vi. परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु स्टेशन की स्थापना का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

vii. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से दिनांक 29/06/2022 द्वारा परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के तहत् जारी प्राधिकार की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 27/06/2027 तक है।

viii. जल हेतु वाटर ऑडिटिंग कराकर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ix. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के संबंध में रिचार्ज पॉण्ड का निर्माण किया गया है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय (वन संरक्षण विभाग) द्वारा पत्र दिनांक 01/02/2022 के माध्यम से मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम–छोटेडोंगर, तहसील व जिला–नारायणपुर को स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस (Forest clearance stage-II for 55.26 Ha), अतिरिक्त क्षेत्रफल–55.26 हेक्टेयर हेतु जारी की गई है।

4. **जल एवं वायु सम्मति –**

P.

i. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5573/TS/CECB/2021 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 02/11/2021 द्वारा आयरन ओर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता– 0.05 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लिए जल एवं वायु संचालन सम्मति जारी की गई, जिसकी सम्मति 1 वर्ष (From the first date of month of commissioning of the mining) तक की अवधि हेतु है।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से पूर्व में जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **उत्खनन योजना** – भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय के ज्ञापन सं. नारायनपुर/लौह/खयो–1329/2022–रायपुर/100, दिनांक 27/05/2022 द्वारा (प्रमाणु और हाईड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 के नियम 17(3) एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 23 के अंतर्गत प्रस्तुत निकट ग्राम–छोटेडोंगर, तहसील–नारायणपुर, जिला–नारायणपुर में स्थित छोटेडोंगर लौह अयस्क खान क्षेत्रफल–192.25 हेक्टेयर कि खनन योजना का उपांतरण सह उतरोतर खान बंद करने की योजना की प्रति प्रस्तुत की गई है।

6. **लीज का विवरण** – लीज मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 21/06/2005 से 20/06/2035 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

LAND USE PATTERN				
Operational & post operational Land use as per the Modified mine plan				
Land Use	Total Area (Ha.)			
	Area Proposed (Original)	Actual Area Utilized	End of first five year as per current mine plan (2021-2025)	At the end of lease period
Area Under Pits	15.58	2.41	20.00	133.00
Area Under Utility Service, (road+Infrastructure)	4.24	7.21	17.48	21.99
Area Under Mineral Storage	0.50	0.40	5.00	0.00
Area Under Over Burden/Waste Dump	0.50	0.32	1.38	5.00

Area Under Plantation	0.00	0.00	0.20	32.26
Area for Garland Drain/Rain water Harvesting	0.50	0.10	0.40	0.00
Surface Water Bodies	0.00	0.00	0.00	0.00
Settlements	0.00	0.00	0.00	0.00
Top soil stacking	0.00	0.30	0.03	0.00
Benefication Plant & Tailing Waste Disposal	4.00	0.00	2.70	0.00
Undisturbed area after 5 years for utilization at later period	**10.42**	**25.27**	**43.81**	**0.00**
Total Project Area	**35.74**	**35.74**	**91.00**	**192.25**

8. कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–173/1227 रायपुर, दिनांक 31/05/2022 द्वारा "Proposal involving non-forestry use of 91.00 ha. (192.250 ha) of forest land in favour of M/s Jayaswal Neco industries limited for mining of iron located in village chhote doger, district Narayanpur (Chhattisgarh)." बाबत् संशोधित पत्र जारी किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धनौरा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 13 कि.मी. दूर है। मदीन नदी 3 कि.मी. दूर है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,42,10,360 टन, माईनेबल रिजर्व 4,80,23,235 टन है। ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 36 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 732 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 9 मीटर है। खदान की संभावित आयु 16 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ड्रिलिंग एवं डीपहोल कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। संशोधित माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2022–23	19,00,476
2023–24	29,22,384
2024–25	29,49,975

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऊपरी मिट्टी के भंडारण हेतु 0.03 हेक्टेयर क्षेत्र, ओव्हरबर्डन/वेस्ट के भंडारण हेतु 0.32 हेक्टेयर क्षेत्र एवं मिनरल्स के भंडारण हेतु 5 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाएगा, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 330 घनमीटर प्रतिदिन होती है, जिसमें से बेनीफिसियेशन प्लांट हेतु जल की मात्रा 245 घनमीटर प्रतिदिन है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (3-tier plantation) में प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22/03/2021 में अधिरोपित शर्त अनुसार लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों के आधार पर सी.ई.आर. के तहत् विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त के संबंध में समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि का आस–पास के क्षेत्रों में ईको पार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत से वृक्षारोपण किये जाने बाबत् सहमति उपरांत (खसरा एवं रकबा सहित) वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि:–

   i. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 02/06/2019 के माध्यम से कुल क्षेत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु टी.ओ.आर. जारी की गई थी।

   तदोपरांत वन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 18/01/2007 को जारी स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस (क्षेत्रफल–35.74 हेक्टेयर) के आधार पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/62/2019-IA.II(M) दिनांक 22/03/2021 द्वारा कुल लीज क्षेत्र 192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर, आयरन ओर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–0.05 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष विथ बेनिफिकेशन प्लांट 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

   ii. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के Specific conditions के (iv) As the Public Hearing has been carried out for the entire 192.25 Ha, PP after taking Stage-II Forest Clearance for remaining area i.e. 55.26 Ha and Stage-I Forest Clearance for balance 101.25 Ha; may again approach the Ministry for undertaking mining in the remaining area with the proper mining plan.

   iii. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 अनुसार "7(ii). Prior Environmental Clearance (EC) process for Expansion or Modernization or Change of product mix in existing projects: (a) All applications seeking prior environmental clearance for expansion with increase in the production capacity beyond the capacity for which prior environmental clearance has

been granted under this notification or with increase in either lease area or production capacity in the case of mining projects." उल्लेखित है।

उक्त अधिसूचना के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि आवेदित खदान में लीज एरिया एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित नहीं है। साथ ही पूर्व में बेसलाईन डाटा एकत्रित कर मॉनिटरिंग का कार्य कुल क्षेत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु ही किया गया था। चूंकि पूर्व में स्टेज–2 फॉरेस्ट क्लेयरेंस 35.74 हेक्टेयर हेतु ही जारी किया गया था, तदानुसार ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पृथक से टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित), ई.आई.ए. मॉनिटरिंग डाटा की आवश्यकला प्रतिपादित नहीं होती है। उपरोक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा (यदि आवश्यक हो तो) भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

16. **डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि:–**

   i. पूर्व में 35.74 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक को कुल लीज क्षेत्र के अंदर अतिरिक्त 55.26 हेक्टेयर हेतु फॉरेस्ट क्लेयरेंस स्टेज–2 जारी की गई है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल क्षेत्रफल–192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर के साथ 55.26 हेक्टेयर (कुल–91 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

   ii. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पूर्व में स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस के आधार पर क्षेत्रफल 35.74 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। वर्तमान में स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त अतिरिक्त 55.26 हेक्टेयर हेतु पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन आवेदन किया गया है। अतः यह पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त क्षेत्रफल (Increase in mine lease area) में वृद्धि होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 के "7(ii) (a)" के तहत् क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः अध्यक्ष महोदय का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के अंतर्गत नवीन ऑनलाईन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

17. **समिति के सदस्यों का निम्नानुसार अभिमत है:–**

   i. **श्री डी. राहुल वेंकट**, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि संबंधित प्रस्ताव संशोधन अथवा क्षमता विस्तार का माना जाना अथवा नही के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिया जाना है।

   ii. **डॉ. शैलेश कुमार जाधव**, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि संबंधित प्रस्ताव संशोधन अथवा क्षमता विस्तार का माना जाना

अथवा नही के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिया जाना है।

iii. **श्री एन.के. चन्द्राकर**, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि आवेदित प्रकरण में क्षमता एवं माईनिंग लीज एरिया में विस्तार नहीं होने कारण डि–लिस्ट/ निरस्त करने की अनुशंसा हेतु असहमति व्यक्त की गई है।

iv. **डॉ. मनोज कुमार चोपकर**, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि आवेदित प्रकरण निम्न कारणों से क्षमता विस्तार का नहीं है:–

- कुल माईनिंग लीज एरिया 192.25 हेक्टेयर हेतु एल.ओ.आई. जारी की गई है।
- उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हो रही है।
- लोक सुनवाई एवं ई.आई.ए. कुल माईनिंग लीज एरिया 192.25 हेक्टेयर हेतु कराया गया है।
- उक्त कारणों से यह क्षमता विस्तार का प्रकरण नहीं है, किन्तु आवेदित प्रकरण के संबंध में संशोधन अथवा क्षमता विस्तार का है अथवा नहीं? बाबत् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिया जा सकता है।

उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि:–

i. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 के "7(ii) (a)" के तहत् माईनिंग के परियोजनाओं हेतु पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से माईनिंग लीज एरिया या उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने की दशा में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

ii. पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग लीज, माईनिंग प्लान एवं स्टेज–1 फारेस्ट क्लीयरेंस के आधार पर टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) क्षेत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु जारी की गई थी।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल क्षेत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु लोक सुनवाई तथा फाईनल ई.आई.ए. तैयार कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

iv. स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस के आधार पर आवेदित प्रकरण को पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/62/2019-IA.II(M) दिनांक 22/03/2021 द्वारा कुल लीज क्षेत्र 192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर, आयरन ओर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–0.05 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष विथ बेनिफिकेशन प्लांट 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई। जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के Specific conditions के (iv) As the Public Hearing has been carried out for the entire 192.25 Ha, PP after taking Stage-II Forest Clearance for remaining area i.e. 55.26 Ha and Stage-I Forest Clearance for balance 101.25 Ha; may again approach

the Ministry for undertaking mining in the remaining area with the proper mining plan. का उल्लेख है।

v. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पूर्व में स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस के आधार पर क्षेत्रफल 35.74 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। वर्तमान में स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त अतिरिक्त 55.26 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन आवेदन किया गया है।

उपरोक्त के संदर्भ में आवेदित प्रकरण पूर्व में जारी 192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन का है? अथवा पूर्व में जारी माईनिंग क्षेत्रफल 35.74 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 55.26 हेक्टेयर की वृद्धि होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 के "7(ii) (a)" के तहत् क्षमता विस्तार का है? इस आशय के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु लेख किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/03/2023 एवं स्मरण पत्र 26/05/2023 के परिपेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन हेतु पत्र प्रेषित किया गया, परंतु जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। चूंकि प्रकरण मार्गदर्शन के परिपेक्ष्य में लंबित है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/05/2023 एवं 24/05/2023 को तथ्य प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार हैः–

"The presentation was made before State Level Expert Appraisal Committee Chhattisgarh on 28/10/2022 and 09/02/2023 for the same and all documents and clarification sought for including the certified compliance report was submitted before the committee on the 10 of February 2023. This compliance submission was along with an Affidavit duly sown in by the company about the submitted compliance status.

In MoM of 450th meeting dated 09/02/2023 it was opined that an opinion may be taken from MOEF New Delhi (Policy division) seeking clarification on whether the matter should be dealt under amendment or Expansion under section 7(i)(a) of EIA Notification date 23/11/2016. Copy of the letter send to MOEF was also marked to us.

We had perused the matter with MOEF New Delhi and we had been given to understand that no such opinion can be given on any individual case as there is clarity in the EIA notification. Moreover, substantial lapse of time had happened in between but no communication could be received.

Keeping in view the time lapsed, we had made a request to the Member Secretary vide our letter dated 11/05/2023 informing that we wish to submit this proposal under section 7(ii)(a) of EIA Notification 23/11/2016.

However, while filing an application for expansion under 7(ii)(a) vide SW/129039/2023 there is only four options given in the drop box under which an application under section 7(ii)(a) can be filed, the same are reproduced as below (Only increased in production with or without increasing the pollution load):

i. More than 40% but up to 50%

ii. Up to 20%

iii. Up to 40%

iv. Without increase in production capacity but with increase in pollution load.

Our case does not fall in any of the above category and we are unable to find any other options in filling the application. There is no such provision in the simple expansion procedure also on filling any application wherein there is no increase in production or no increase in mining lease area is happening. Hence we are constrained to file application under Amendment and we seek remedy for the same by this committee.

In view of the same, and the considerable lapse of time which had already occurred, we request for considering this proposal under simple amendment in EC on the following grounds :-

a. TOR had been granted for 192.25 hectare and the entire EIA study and the Public hearing had been conducted on the entire 192.25 hectare forest land and its 10 km radius.

b. EIA had been prepared accordingly covering the entire 192.25 hectare mining lease area and had been presented before the EAC committee of MOEF.

c. EC had been granted by MOEF (IA Division) vide letter dated 22/03/2021.

d. While granting the earlier EC, it has been stated that (page 8 of 15) specific condition No IV as the public hearing has been carried out for the entire 192.25 hectare, PP after taking stage 2 forest clearance for the remaining area i.e. 55.26 hectare, may again approach the ministry for undertaking mining in the remaining area with the proper mining plan.

e. NPV for the entire Mining lease area (192.25 Hectare) stands paid. Compensatory afforestation charges also stands paid to the forest department. All compliance had been done as per the provisions.

Since there is neither increase in the mining lease area nor there is any increase in production hence section 7(ii)(a) of EIA notification 2016 is not applicable in this case. Hence we request you to treat this as case of "Amendment in EC" and grant us the requisite amendment accordingly without further waste of time. We will remain obliged for the same.”

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम–छोटेडोंगर, तहसील व जिला–नारायणपुर स्थित भूमि पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 एवं 265, कुल क्षेत्रफल–192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर के साथ 55.26 हेक्टेयर (कुल–91 हेक्टेयर) में क्षमता–2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं बेनिफिसियेशन

P.

प्लांट–1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के साथ यह भी कि This recommendation is being made subject to final outcome of clarification letter sought from MoEF&CC wide letter no. 2669, dated 23/03/2023 पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन दिए जाने की अनुशंसा की गई (यह अनुशंसा भविष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर उसी अनुसार प्रभावित होगी):–

i. Project proponent shall carryout the EIA study in accordance to MoEF&CC circular issued from time to time & shall prepare EIA report / EMP incorporating the impact of mining on subject land and shall submit the copy of EIA / EMP within four months from the grant of amendment in environment clearance which will be further reviewed by SEAC for appraisal of the same.

ii. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

iii. The Project Proponent needs to implement the recommendations of the Slope monitoring studies to be carried out by CSIR. The implementation status of the same shall be submitted to the Ministry's Integrated Regional Office (IRO) along with the six monthly compliance report.

iv. The Project Proponent shall ensure that the low grade ore shall be effectively utilized.

v. The Project Proponent shall continue the monitoring of ground induced blast vibrations for every blast through authorized institutes and the results are to compared with the limiting values prescribed by Director General of Mine Safety (DGMS). PP shall ensure that the values of "peak particle velocity" and "Air Over Pressure shall be maintained below the permissible values prescribed by the DGMS, from time to time. The data needs to be maintained and submitted along with the six monthly compliance report.

vi. The wildlife conservation plan shall be prepared in consultation with the State Forest / wildlife Department shall be implemented and compliance of the same shall be submitted to IRO of MOEF&CC for every six months.

vii. The Project Proponent shall take all precautionary measures during project operations / plant operations for conservation & protection of endangered flora as well as endangered fauna spotted in the study area / project area. Action plan for conservation of flora & fauna shall be prepared & implemented in consultation with forest department & wildlife department. Necessary allocation of fund for implementation of the conservation plan shall be made & the fund so allocated shall be included in the project cost. A copy of action plan must be submitted to the SEIAA & SEAC office within 6 months.

viii. The Project Proponent shall also organize employment-based apprenticeship/ internship training program every year with appropriate stipend for the youth and other programs to enhance the skill of the local people The data should be maintained for the training imparted to the persons and the outcome of the training, for the assessment of the training program should be analyzed periodically and improved accordingly.

ix. The Project Proponent should periodically monitor and maintain the health records of the mine workers digitally prior to mining operations, at the time of operation of mine and post mining operations. Regular surveillance shall be carried through regular occupational health check-up every year for mine

workers. PP shall also organize medical camp for the benefit of the local people and also the monitor the health impacts due to mining activity.

x. The Project Proponent shall install a minimum of 3 (three) online Ambient Air Quality Monitoring Stations with 1 (one) in upwind and 2 (two) in downwind direction based on long term climatological data about wind direction such that an angle of 120° is made between the monitoring locations to monitor critical parameters, relevant for mining operations, of air pollution viz. PM10, PM2.5, NO2, CO and SO2 etc. as per the methodology mentioned in NAAQS Notification No. B-29016/20/90/PCI/I, dated 18.11.2009 covering the aspects of transportation and use of heavy machinery in the impact zone. The ambient air quality shall also be monitored at prominent places like office building, canteen etc. as per the site condition to ascertain the exposure characteristics at specific places. The above data shall be digitally displayed within 03 months in front of the main Gate of the mine site. The real time data generated from the continuous ambient air quality monitoring stations (CAAQMS) should be displayed digitally at entry and exit gate of mine lease area for public display and shall be linked to server of CPCB/SPCB.

xi. Effective safeguard measures for prevention of dust generation and subsequent suppression (like regular water sprinkling, metalled road construction etc.) shall be carried out in areas prone to air pollution wherein high levels of PM10 and PM2.5 are evident such as haul road, loading and unloading point and transfer points. The Fugitive dust emissions from all sources shall be regularly controlled by installation of required equipments/ machineries and preventive maintenance. Use of suitable water-soluble chemical dust suppressing agents may be explored for better effectiveness of dust control system. It shall be ensured that air pollution level conform to the standards prescribed by the MOEFCC/ Central Pollution Control Board.

xii. The Project Proponent shall undertake regular monitoring of natural water course/ water resources/ springs and perennial nallahs existing/ flowing in and around the mine lease including upstream and downstream. The parameters to be monitored shall include their water quality suitability for usage as per CPCB criteria and flow rate. It shall be ensured that no obstruction and/ or alteration be made to water bodies during mining operations without justification and prior approval of MoEFCC. The monitoring of water courses/ bodies existing in lease area shall be carried out four times in a year pre- monsoon (April May), monsoon (August), post-monsoon (November) and winter (January) and the record of monitored data may be sent regularly to Ministry of Environment, Forest and Climate Change and its Regional Office, Central Ground Water Authority and Regional Director, Central Ground Water Board, State Pollution Control Board and Central Pollution Control Board.

xiii. Quality of polluted water generated from mining operations which include Chemical Oxygen Demand (COD) in mines run-off; acid mine drainage and metal contamination in runoff shall be monitored along with Total Suspended Solids (TDS), Dissolved Oxygen (DO), pH and Total Suspended Solids (TSS). The monitored data shall be uploaded on the website of the company as well as displayed at the project site in public domain, on a display board, at a suitable location near the main gate of the Company. The circular No. J-20012/1/2006-IA.II (M) dated 27.05.2009 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change may also be referred in this regard.

xiv. Project Proponent shall plan, develop and implement rainwater harvesting measures on long term basis to augment ground water resources in the area in consultation with Central Ground Water Board/ State Groundwater Department. A report on amount of water recharged needs to be submitted to Regional Office MoEFCC annually.

xv. The Project Proponent shall take measures for control of noise levels below 85 dBA in the work environment. The workers engaged in operations of HEMM, etc. should be provided with ear plugs /muffs. All personnel including laborers working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices along with adequate training, awareness and information on safety and health aspects. The PP shall be held responsible in case it has been found that workers/ personals/ laborers are working without personal protective equipment.

xvi. Industrial waste water (workshop if any and waste water from the mine) should be properly collected and treated so as to conform to the notified standards prescribed from time to time. The standards shall be prescribed through Consent to Operate (CTO) issued by concerned State Pollution Control Board (SPCB). The workshop effluent shall be treated after its initial passage through Oil and grease trap.

xvii. Catch drains, settling tanks and siltation ponds of appropriate size shall be constructed around the mine working, mineral yards and Top Soil/OB/Waste dumps to prevent run off of water and flow of sediments directly into the water bodies (Nallah/ River/ Pond etc.). The collected water should be utilized for watering the mine area, roads, green belt development, plantation etc. The drains/ sedimentation sumps etc. shall be de-silted regularly, particularly after monsoon season, and maintained properly.

xviii. Check dams of appropriate size, gradient and length shall be constructed around mine pit and OB dumps to prevent storm run-off and sediment flow into adjoining water bodies. A safety margin of 50% shall be kept for designing of sump structures over and above peak rainfall (based on 50 years data) and maximum discharge in the mine and its adjoining area which shall also help in providing adequate retention time period thereby allowing proper settling of sediments/ silt material. The sedimentation pits/ sumps shall be constructed at the corners of the garland drains.

xix. The pollution due to transportation load on the environment will be effectively controlled and water sprinkling will also be done regularly. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Project should obtain Pollution Under Control (PUC) certificate for all the vehicles from authorized pollution testing centers.

xx. The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole Green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area.

xxi. The Project Proponent shall ensure the survival rate of 90% for planting the gap plantation and new plantation. The Project Proponent shall make the actual count on the saplings planted and its survival rate and in case of failure of achievement of 90% survival rate, action plan for achieving the target survival

rate shall be submitted to the Ministry's Integrated Regional Office Project proponent shall use saplings of 10 feet height for plantation.

xxii. The mining lease holders shall, after ceasing mining operations, undertake regrassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. The implementation report of the above said condition shall be submitted to the Ministry's Integrated Regional Office.

xxiii. Project proponent shall submit CER proposals of 2% of the total project cost preferably for creation of Eco Park with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years in SEIAA, Chhattisgarh.

xxiv. Project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned Gram Panchayat.

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी करने का निर्णय लिया गया तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को उक्त कार्यवाही विवरण से अवगत कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाए।

तदानुसार पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति ज्ञापन क्रमांक J-11015/62/2019-IA.II(M) दिनांक 22/03/2021 में ग्राम–छोटेडोंगर, तहसील व जिला–नारायणपुर स्थित भूमि पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 एवं 265, कुल क्षेत्रफल–192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर के साथ 55.26 हेक्टेयर (कुल–91 हेक्टेयर) में क्षमता–2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं बेनिफिसियेशन प्लांट–1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के साथ यह भी कि This recommendation is being made subject to final outcome of clarification letter sought from MoEF&CC wide letter no. 2669, dated 23/03/2023 संशोधन जारी किया जाता है।

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्ते यथावत् रहेगी।

सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
छत्तीसगढ़

पृ.क. 1606 /एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./माईन/ नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09/10/2023

प्रतिलिपि :–

1. डायरेक्टर, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विंग, द्वितीय मंजिल, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 100003
2. एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492002
4. सदस्य सचिव, सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक–II, विंग–3, ग्राउण्ड फ्लोर, सेक्टर–1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली – 110066
5. कलेक्टर, जिला–जगदलपुर (छत्तीसगढ) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,
छत्तीसगढ़